BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 632 OF 2022

IN THE MATTER OF:

V.K. TYAGI ....APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTARAKHAND .....RESPONDENT(S)

INDEX

S.NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 7 IN COMPLIANCE OF THE ORDER DT. 10.11.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI	
	ANNEXURES	
2.	COPY OF THE GO DT. 27.12.2024 HAS BEEN ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-1	

THROUGH COUNSEL

BHANWAR PAL SINGH JADON
COUNSEL FOR STATE OF U.P.
Bhanwar09jadon09@gmail.com| 9639286572

Date: 15.01.2026

Place: NOIDA

2213

DISTT. COURT UTTAR PRADESH AFFIDAVIT 2025 2198140

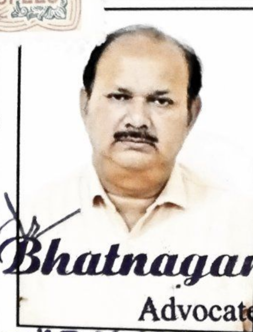

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 632 OF 2022

Rahul Bhatnagar
Advocate
UP Bar Council E. N. 3764/20
Ch No. 16, Zila Bar Building, Meerut
Mob: 9219503050

IN THE MATTER OF:

V.K. TYAGI ....**APPLICANT**

VERSUS

STATE OF UTTARAKHAND .....**RESPONDENT(S)**

AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 7 IN COMPLIANCE OF THE ORDER DT. 10.11.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI

I Gyan Prakash Srivastava aged about 55 years S/o Sri Naval Kishor Srivastava presently posted as , do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That I am the Deponent in the above captioned matter and am fully conversant with the facts of the case and is competent and authorized to swear the present affidavit.

2. That I state that the contents of the affidavit have been drafted by my counsel on my instructions and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.

I. BACKGROUND OF THE MATTER

3. That in the present matter, the issue is with respect to the encroachment for cultivation on the land of river Solani, a tributary of River Ganga, which is obstructing its flow, further grievance is about discharge of untreated sewage in river Solani which is creating health hazards and converting the river into a drain.

II. PRIOR SUBMISSONS

4. That a further Progress Report dated 21.05.2025 has already been submitted before this Hon'ble Tribunal. In the said report, it has been stated that the Executive Engineer, Irrigation & Water Resources Department, Irrigation Construction Division, Saharanpur, vide letter dated 17.02.2025, informed that the work of installation of demarcation pillars for the Flood Plain Zone of River Solani in District Saharanpur, based on the 100-year return period flood, was completed on 07.02.2025.

5. That it has further been submitted that in District Muzaffarnagar, the installation of demarcation pillars for the Flood Plain Zone of River Solani, based on the same criteria, was completed by 20.02.2025. Relevant photographs evidencing the installation of the demarcation pillars were also taken and placed on record.

III. ISSUANCE OF GOVERNMENT ORDER DETERMINING FLOOD PLAIN ZONE

6. That it has also been stated in the aforesaid affidavit that the Special Secretary, Government of Uttar Pradesh, issued a Government Order dated 27.12.2024, whereby the Flood Plain Zone of River Solani in Districts Saharanpur and Muzaffarnagar was determined on the basis of the coordinates (Latitude and Longitude) provided by the Hydrology Division, Bahadrabad, for the purpose of demarcation based on the 100-year return period flood.

   A Copy of the Government Order dt. 27.12.2024 has been annexed herewith as **ANNEXURE R-1.**

IV. DISCHARGE OF UNTREATED SEWAGE

Oath Commissioner Meerut

7. That it is relevant to submit that the Uttar Pradesh Pollution Control Board, Muzaffarnagar, vide its Status Report dated 01.10.2025 ***(refer @ Page No. 2090 of the Judicial Record)***, has informed as under:

- That the Regional Office of the U.P. Pollution Control Board conducted a detailed survey of sewage/industrial discharge status in River Solani as well as River Ban Ganga within the territorial limits of District Muzaffarnagar. It has been categorically submitted that, as per the said survey, no sewage or industrial effluent is being discharged into River Solani in District Muzaffarnagar.
- That in the said affidavit, it has further been stated that the Regional Office of the U.P. Pollution Control Board, Saharanpur informed that as per the records maintained by the said office, there are no industries located within the catchment area of River Solani in District Saharanpur.

8. Hence, the present affidavit is being submitted for the kind perusal of the Hon'ble Tribunal. It is prayed that the same be taken on record

14/1/2026

DEPONENT

VERIFICATION

Verified at .MEERUT......... on this 14.... day of January, 2026, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 9 are believed to be true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

14/1/2026
DEPONENT

IDENTIFIED
14/01/2026

Rahul Bhatnagar
Advocate
UP Bar Council E. N. 3764/20
Ch No. 16, Zila Bar Building, Meerut
Mob· 9219503050

Oath Commissioner
Meerut

Serial No. 219 ... No. 2190140
Gyan Prakash Srivastava
Rahul Bhatnagar
Made ... before me on. Adv
Dated 14-01-2026

2026
Oath Commissioner
Meerut

ANNEXURE R-1

महत्वपूर्ण

संख्या-689/2024/17रिट/2024-27-सिं0-4-14(रिट)(एन0जी0टी0)/23

प्रेषक,

डॉ0 अरविन्द कुमार चौरसिया,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
नगर विकास विभाग,
उ0प्र0 शासन।

2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,
उ0प्र0,शासन।

3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
राजस्व विभाग,
उ0प्र0 शासन।

4. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0,लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4 लखनऊः दिनांकः 27 दिसम्बर, 2024

विषयः मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या-632/2022 (I.A.No. 499/2024) श्री वी०के० त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15-10-2024 के अनुपालन में सोलानी नदी के फ्लड प्लेन जोन घोषित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० संख्या-632/2022 (I.A.No. 499/2024) श्री वी०के० त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा० अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 15-10-2024 एवं मुख्य अभियन्ता (जल संसाधन) कार्यालय प्रमुख अभियंता, सिचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 के पत्र दिनांक 20-12-2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सोलानी नदी की 100 वर्ष के रिटर्न पीरियड की बाढ़ के आधार पर बाढ़ मैदान क्षेत्र के निर्धारण एवं सीमांकन हेतु अधिसूचना निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में उपलब्ध कराया गया है।

2- मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या-632/2022 (I.A.No. 499/2024) श्री वी०के० त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में सोलानी नदी की 100 वर्ष के रिटर्न पीरियड की बाढ़ के आधार पर बाढ़ मैदान क्षेत्र के निर्धारण एवं सीमांकन किये जाने हेतु आदेश दिए गए हैं। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दिनांक 8-9-2024 को पारित आदेश के प्रस्तर-18 में निम्न निर्देश दिये गये हैः-

"18. In the circumstances, we permit both the States to complete work of determination/demarcation of Flood Plain Zone of River Sonali within the area, river flows in both the States------------."

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पुन:प्रश्नगत वाद में दिनांक 15-10-2024 को सुनवाई करते हुए मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 15-10-2024 के प्रस्तर-4 में निम्न निर्देश दिये गये हैः-

"4. In respect of area of river in State of UP, we are informed that survey of area of river in District Saharanpur will be completed by 15.11.2024 and in District Muzaffarnagar by 15.12.2024 and progress report shall be submitted at least two days before the next date."

3. मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 15-10-2024 के अनुपालन में प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गए प्रस्तावानुसार सोलानी नदी की 100 वर्ष के रिटर्न पीरियड की बाढ़ के आधार पर बाढ़ मैदान क्षेत्र के निर्धारण एवं सीमांकन हेतु Coordinates (Latitude & Longitude) के आधार पर प्रदेश के सीमान्तर्गत निम्नलिखित जनपदों में फ्लड प्लेन जोन अधिसूचित किया जाना हैः-

क्रमांक	जनपद	लांगीट्यूड एवं लैटिट्यूड
1.	सहारनपुर	संलग्नक-1
2.	मुजफ्फरनगर	संलग्नक-2

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ओ०ए० संख्या-632/2022 (I.A.No. 499/2024) श्री वी०के० त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 15-10-2024 के अनुपालन में सोलानी नदी की 100 वर्ष के रिटर्न पीरियड की बाढ़ के आधार पर बाढ़ मैदान क्षेत्र के निर्धारण एवं सीमांकन हेतु जनपद सहारनपुर एवं मुजफ्फरनगर में फ्लड प्लेन जोन के Coordinates (Latitude & Longitude) (प्रति संलग्न) के आधार पर फ्लड प्लेन जोन निर्धारित किया जाता है। इस सम्बन्ध मे एन.एम.सी.जी, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण एवं विभिन्न मा0 न्यायालयों द्वारा समय समय पर पारित दिशा-निर्देश एवं आदेश प्रभावी होंगें।

5. उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

संलग्न-यथोक्त

भवदीय,
डॉ0 अरविन्द कुमार चौरसिया
विशेष सचिव।

पृष्ठांकन संख्या-689/2024/17रिट(1)/2024-27-सिं0-4-14(रिट)(एन0जी0टी0)/2023, दिनांक 27 दिसम्बर,2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. अध्यक्ष राजस्व परिषद, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. सदस्य सचिव, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ।
8. आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास विकास परिषद, लखनऊ।
9. प्रमुख अभियन्ता (परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, प्रमुख अभियन्ता (परिकल्प एवं नियोजन) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 एवं प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
10. संबंधित जनपद के जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।
11. संबंधित जनपद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
12. संबंधित जनपद के विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, उ0प्र0।
13. संबंधित जनपद के प्रशासक/मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम/नगर पालिका, उ0प्र0।
14. संबंधित क्षेत्र के नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के अध्यक्ष, उ0प्र0।
15. समस्त विनियमित क्षेत्रों के नियत प्राधिकारी, उ0प्र0।
16. संबंधित क्षेत्र के अध्यक्ष, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
17. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को इस आशय से प्रेषित की उक्त सूचना प्रदेश के व्यापक प्रचार-प्रसार वाले दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराते हुए स्थानीय दूरदर्शन पर समाचार के माध्यम से प्रसारित कराने का कष्ट करें।
18. सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-2 को उपर्युक्त प्रस्तर-7 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु।
19. सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के समस्त अनुभाग।
20. मुख्यअभियंता (गंगा) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, मेरठ ।
21. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अमित प्रणव
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।